आदेश फलक

न्यायालय : समाहर्त्ता, पश्चिम चम्पारण, बेतिया

वाद संख्या :— सी.आर.एम. 20 / 2009—2010

आदेश की क्र0 सं0 और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
7/9/13	**आदेश** अपीलकर्त्ता श्री परसन साह वल्द—फौदी साह ग्राम—सिसई, थाना—लौरिया, जिला—पश्चिम चम्पारण द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.05.2007 के उस आदेश के विरूद्ध अपीलवाद दायर किया गया है, जिसके द्वारा अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 37 / 85 को रद्द कर दिया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि मंत्रीमण्डल (निगरानी विभाग) के निगरानी अन्वेषण व्यूरो की टीम द्वारा लौरिया प्रखण्ड के जन वितरण प्रणाली के विक्रेता श्री परसन साह, ग्राम—सिसई द्वारा जून, 1997 से फरवरी, 2002 तक लालकार्डधारियों के बीच खाद्यान्नों वितरण में पायी गयी अनियमिताओं यथा—कार्डधारियों के कार्ड में गलत प्रविष्टि कर केवल एक तिहाई भाग में राशन का वितरण लाभुकों के बीच किया गया तथा शेष दो—तिहाई भाग खाद्यान्न को फर्जी तरीके से कालाबाजारी करने से संबंधित प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा दिनांक 20.05.2006 को अपीलकर्त्ता को नोटिस निर्गत कर उपरोक्त आरोप के संबंध में स्पष्टीकरण की मांग की गयी। अपीलकर्त्ता के द्वारा अपना स्पष्टीकरण लिखित रूप में प्रस्तुत किया गया, जिसे संतोषजनक न पाते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज ने अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति संख्या—37 / 85 को तात्कालिक प्रभाव से रद्द कर दिया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में सी.डब्लू.जे.सी. नं0 7348 / 2006 दायर किया गया, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 03.04.2007 को आदेश पारित करते हुए अपीलकर्त्ता द्वारा दिए गए कारण पृच्छा पर साहनुभूतिपूर्वक विचार करते हुए रद्द अनुज्ञप्ति को पुर्नजीवित करने पर पुर्नविचार करने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा अपने पत्रांक 315 दिनांक 09.05. 2007 को अपीलकर्त्ता से पुनः कारण पृच्छा किया गया, जिसपर दि. 17.05.2007 को कारण पृच्छा दाखिल किया गया। प्राप्त आरोप के विरूद्ध विक्रेता द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण से स्पष्ट होता है कि विक्रेता द्वारा दाखिल स्पष्टीकरण तथ्यहीन, असंतोषप्रद एवं साक्ष्य विहिन है, क्योंकि अपीलकर्त्ता द्वारा खाद्यान्न	

वितरण से संबंधित पंजी, नगद पत्र की द्वितीय प्रति समर्पित नहीं किया गया है। अतः निर्गत अनुज्ञप्ति संख्या 37/85 को पुनः रद्द कर दिया गया।

उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलकर्त्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में पुनः सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 11408/2007 दायर किया गया, जिसमें दि. 18.11. 2009 को माननीय उच्च न्यायालय द्वारा अपीलकर्त्ता को अपीलीय प्राधिकार के समक्ष अपील करने का निदेश दिया गया। साथ ही साथ अपीलीय प्राधिकार अपील पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आदेश पारित किया गया।

उक्त आदेश के आलोक दिनांक 21.12..2009 को अपीलकर्त्ता के द्वारा यह अपील दायर किया गया। अपीलकर्त्ता द्वारा यह कहा गया कि 1997 से लेकर 2002 तक जिन लाभुकों का जांच किया गया, तो जांच के समय सभी के पास राशन कार्ड पाया गया तथा कार्ड में उठाव की प्रविष्टि पायी गयी। जब कार्ड लाभुक के पास है तो उसमें गलत प्रविष्टि का कोई प्रश्न नहीं उठता है। साथ ही साथ 1997 से 2002 के बीच का वितरण पंजी, कैश मेमो, भण्डार पंजी की मांग का संधारण 2006 तक विक्रेता द्वारा संधारण संभव नहीं है एवं उनके साथ हीं अन्य दुकानदारों की अनुज्ञप्ति रद्द की गयी थी, जिसकी अनुज्ञप्ति को पूर्व में ही अधोहस्ताक्षरी के ज्ञापांक 33/आपूर्ति दिनांक 07.01.12 पुर्नजीवित किया जा चुका है। अतः अपीलकर्त्ता द्वारा अपील की स्वीकृति करते हुए रद्द अनुज्ञप्ति संख्या 37/85 को पुर्नजीवित करने का अनुरोध किया गया।

अपीलकर्त्ता के विज्ञ अधिवक्ता एवं निम्न न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से ज्ञात होता है कि मंत्रिमण्डल (निगरानी विभाग) के निगरानी अन्वेषण ब्यूरो द्वारा जून, 1997 से फरवरी, 2002 तक खाद्यान्न वितरण के संबंध में जो आरोप लगाए गए उन आरोपों के आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज द्वारा विस्तृत स्पष्टीकरण नहीं पूछा गया और न हीं अपीलकर्त्ता द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विन्दुवार सुनवाई की गयी तथा अपीलकर्त्ता के अनुज्ञप्ति को मात्र एक संक्षेप आदेश द्वारा रद्द कर दिया गया, जो न्याय संगत नहीं है। यहां उल्लेखनीय है कि अनुज्ञापन पदाधिकारी–सह–अनुमण्डल पदाधिकारी द्वारा सुनवाई अर्ध न्यायिक प्रक्रिया के तहत की जाती है एवं उनके द्वारा बिन्दुवार सकारण आदेश पारित नहीं किया गया है। अतः अपीलकर्त्ता के अपील आवेदन को स्वीकृत करते हुए अनुमण्डल पदाधिकारी, नरकटियागंज के आदेश दिनांक 22.07.2007 को रद्द करते हुए अपीलकर्त्ता के जन वितरण प्रणाली के अनुज्ञप्ति संख्या 37/85 को पुर्नजीवित करने का आदेश दिया जाता है।

1542
11/9/13

लेखापित एवं संशोधित

7/9

जिला पदाधिकारी
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।

7/9

जिला पदाधिकारी,
पश्चिम चम्पारण, बेतिया।